राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38/2016 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्री मनोहर लाल पुत्र भैरू लाल पारीक निवासी नाथडियास तहसील रायपुर 2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नाथडियास पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार – निगराकार की ओर से
2. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से
3. श्री के.सी.काष्ट अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.06.2018

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 29.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत नाथडियास की पूर्व सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार एवं सचिव बन्शी लाल कुम्हार ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी हल्का के आराजी नम्बर 802 में मनोहर लाल पुत्र भैरू लाल पारीक निवासी नाथडियास को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत दिनांक 03.03.2014 को पटटा कमांक 94 जारी किया गया । उक्त पटटे की भूमि नाथडियास निवासी रामलाल /नेनुराम सालवी की आराजी नम्बर 757, 758, 759 से सटी है। जिसके संबंध में रामलाल द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट के बिन्दु सं. 5 के अनुसार उक्त पटटे की भूमि के संबंध में रामलाल पिता नेनु बलाई ने अपने वकील श्री फारूक मोहम्मद निवासी रायपुर के माध्यम से आपत्ति नोटिस दिनांक 10.12.2011 को रजिस्टर्ड डाक से सरपंच माया देवी सुथार को भिजवाया गया जिसकी पावती रसीद स्वयं सरपंच मायादेवी सुथार ने दी है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस की सुनवाई नहीं कर, ग्राम पंचायत द्वारा रामलाल बलाई को अतिक्रमण

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

हटाने के नोटिस दिनांक 15.12.2011, 20.12.2011 को जारी किया गया जो न्यायोचित नहीं हैं एवं इसी आराजी नम्बर 802 जो कि विवादित होते हुए भी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम सं. 156 के तहत आपसी बातचीत में दिनांक 10.09.2012 को पटटा जारी किया गया जो नियम विरूद्व हैं । अतः निगरानी दर्ज फरमावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 08.03.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं रिकार्ड तलब किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया । जिसके संदर्भ में दिनांक 18.12.17 को रिकार्ड प्राप्त हुआ। दिनांक 10.07. 2017 को गैर निगराकार सं. 01 का जवाब पेश हुआ ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

निगराकार की ओर से विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पंचायत नाथडियास की पूर्व सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार एवं सचिव बन्शी लाल कुम्हार ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी हल्का के आराजी नम्बर 802 में मनोहर लाल पुत्र भैरू लाल पारीक निवासी नाथडियास को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत दिनांक 03.03.2014 को पटटा क्रमांक 94 जारी किया गया । उक्त पटटे की भूमि नाथडियास निवासी रामलाल /नेनुराम सालवी की आराजी नम्बर 757, 758, 759 से सटी है। जिसके संबंध में रामलाल द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई । जिसकी जांच रिपोर्ट के बिन्दु सं. 5 के अनुसार उक्त पटटे की भूमि के संबंध में रामलाल पिता नेनु बलाई ने अपने वकील श्री फारूक मोहम्मद निवासी रायपुर के माध्यम से आपत्ति नोटिस दिनांक 10.12.2011 को रजिस्टर्ड डाक से सरपंच माया देवी सुथार को भिजवाया गया जिसकी पावती रसीद स्वयं सरपंच मायादेवी सुथार ने दी है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस की सुनवाई नहीं कर, ग्राम पंचायत द्वारा रामलाल बलाई को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिनांक 15.12.2011, 20.12.2011 को जारी किया गया जो न्यायोचित नहीं हैं एवं इसी आराजी नम्बर 802 जो कि विवादित होते हुए भी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम सं. 156 के तहत आपसी बातचीत में दिनांक 10.09. 2012 को पटटा जारी किया गया जो नियम विरूद्व हैं ।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत नाथडियास की आराजी नम्बर 802 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी वास या निवास दर्ज होकर ग्राम पंचायत नाथडियास की आबादी में स्थित हैं, जिसका पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत नाथडियास को अधिकार है। दिनांक 12.09.2012 को ग्राम पंचायत में पटटा दायर करने की फाईल प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 23.08.2013 को ग्राम पंचायत नाथडियास के द्वारा पटटे जारी किये गये । इस प्रकार आपत्तिकर्ता रामलाल सालवी को एक वर्ष से अधिक समय मिलने के उपरांत भी पंचायत कार्यालय में जाकर आपत्ति दर्ज नहीं करवा कर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में झूठी शिकायत प्रस्तुत की जिस पर जिला परिषद भीलवाडा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

ने बिना मध्यस्थतता किये एवं आपत्तिकर्ता तथा पंचायत समिति को सुने बिना निगरानी पेश की हैं, जो गलत एवं झूठी है। आपत्तिकर्ता रामलाल सालवी उक्त आराजियात नं. 802 के ऊपर अतिक्रमण करके बेसकीमती सरकारी जगह को हडपने की नियत से ऊपर पत्थर डलवा दिये थे। इस वजह से ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा 15.12.2011 को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया , जो जायज हैं तथा आबादी की जमीन पर आपत्तिकर्ता रामलाल सालवी पुत्र नेनुराम सालवी ने बिना हक एवं अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है, जो गैर कानूनी होकर अवैध हैं तथा आपत्तिकर्ता रामलाल सालवी पुत्र नेनुराम सालवी की स्वयं की निजी खातेदारी जगह 757, 758, 759 जो आबादी से बहुत दूर होकर स्वयं के खातेदारी में आने जाने के लिए सेफ रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। गैर निगराकार सं. 01 मनोहर लाल पारीक ने अपनी मेहनत से रूपये पैसे कमाकर पंचायत के राजकोष में 62500/–रूपये कमाई के जमा कराकर पंचायत से पटटा जारी करवाया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे। गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त रामेश्वर बनाम स्टेट व अन्य 1999 डी.एन.जे.(राज) 781 (राज. हाई कोर्ट), बिरज लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य 1999 डी.एन.जे.(राज) 437 (राज.हाई कोर्ट), सुमेर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2006 (1) डी.एन.जे.(राज) 377 (राज.हाई कोर्ट), गोवर्धन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2005(2) डी.एन.जे. (राज) 797 (राज.हाई कोर्ट) पेश किये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नाथडियास की पत्रावली सं. 56/2012 में मनोहरलाल पिता भैरूलाल पारीक निवासी नाथडियास ने कब्जेशुदा भूखण्ड का विद्यमान बाजार दर से क्रय करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क आवेदन फीस 20/– मौका निरीक्षण फीस 50/– रू. एवं नक्शा फीस 50/–रू. सहित कुल 120/–रू. जमा कराये। तदुपरान्त राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145, 146, 147, 148, 149 के तहत कार्यवाही पूर्ण करके श्री मनोहर लाल पिता भैरू लाल पारीक निवासी नाथडियास को मुआफिक नक्शा एवं माप के अन्दर हल्का आबादी नाथडियास में नाथडियास रायपुर सडक के पास स्थित स्वयं के कब्जेशुदा भूखण्ड जिसका क्षैत्रफल 1250 वर्गफीट होकर इस भूखण्ड की तहसीलदार रायपुर से जारी नवीनतम डीएलसी दर रू. 50/– प्रति वर्गफीट (डीएलसी दर नाथडियास जोन क्रमांक 02 अविकसित क्षैत्र आवासीय प्रयोजनार्थ रू. 41/– प्रति वर्गफीट होने से) राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कुल राशि रू. 62500/–रू. अक्षरे बासठ हजार पांच सौ रूपये मात्र में प्राईवेट बातचित से बैचान किये जाने की निर्णय कोरम के प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 23.08.2013 द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। सम्पूर्ण रकम जमा होने एवं पंचायत समिति रायपुर से सक्षम स्वीकृति के उपरान्त प्रारूप 23 में प्रार्थी के नाम पटटा जारी किया।

निगराकार विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर ने उक्त पटटे की

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

भूमि रामलाल /नेनुराम सालवी निवासी नाथडियास के आराजी नं. 757,758,759 से सटी होने से एवं आ.नं. 802 बिलानाम दर्ज होने से पटटे को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 इस प्रकार है –

<u>156 प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण –</u>

(1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत के द्वारा विकय के जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरित कर सकेगी –

(क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और निलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो

(ख) जहां को अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि निलाम उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा और

(ग) जहां तक नियम 144 के उप नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पटटी हो और एक ही आवेदक हो ।

(2) किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जायेगी ।

(3) किसी बाजार या वाणिज्यिक क्षैत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षैत्र के लिए नियत कीमत की दुगुनी से कम नहीं होगी ।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम नाथडियास के आ.नं. 757,758,759 श्री रामलाल पिता नेनु मु. छगनी बेवा नेनु बलाई सा. देह खातेदार दर्ज हैं एवं आ.नं. 802 बिलानाम गे.मु. आबादी दर्ज रिकार्ड थी। जिसे उपखण्ड अधिकारी रायपुर ने आदेश कमांक/प्रकरण सं. 81/17 दिनांक 29.06.2017 से ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी प्रयोजन हेतु आवंटन/आरक्षित की गयी। राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण सं. 1158 दिनांक 20.07.2017 से ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी हेतु दर्ज की गयी, जबकि ग्राम पंचायत नाथडियास ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 23.08.2013 को 1250 वर्गफीट आवासीय भूमि का पटटा जारी कर दिया गया। पटटा दिनांक 23.08. 2013 को ग्राम नाथडियास के आराजी नं. 802 बिलानाम गे.मु. आबादी दर्ज होकर सरकारी भूमि थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा बिलानाम आराजी नं. 802 ग्राम पंचायत नाथडियास के खाते में आबादी में दर्ज नही होने पर भी अवैध रूप से आवासीय पटटा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया जाना प्रकट होता है।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग मे दर्ज प्रकरण सं. 15/07 539 दिनांक 21.04.2015 की जांच जिला परिषद भीलवाडा के कमांक 276 दिनांक 15.05.

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

2015 द्वारा श्री ओ.पी. सोनी कार्यवाहक पंचायत प्रसार अधिकारी से करायी गयी जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर ग्राम पंचायत नाथडियास की तत्कालीन सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार व तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव श्री बंशीलाल कुम्हार द्वारा परिवादी श्री रामलाल की आराजी सं. 757–758–759 से सटे हुये खसरा नं. 802 में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 156 में पटटे जारी करना पाया जाने से सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार के विरूद्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर विवादित पटटों के विरूद्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में निगरानी याचिका दायर करा कर पटटो को निरस्त कराने की कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुये कमांक/जिपभी/पंचा./01/2015–16/686/बी से विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को प्रेषित किया गया। जिसके संदर्भ मे विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर ने इस न्यायालय मे दिनांक 29.02.2016 को गैर निगराकार के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की है।

सरपंच ग्राम पंचायत नाथडियास ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 1250 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड 62,500/–रू. जमा कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत आराजी नम्बर 802 में पटटा जारी किया जो बिलानाम सरकारी भूमि है। आराजी सं. 802 दिनांक 20.07.2017 से पूर्व ग्राम पंचायत नाथडियास की आबादी भूमि नही होते हुये भी गैर निगराकार सं. 02 ने बिलानाम भूमि आराजी नं. 802 में गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 23.08.2013 को आवासीय भूखण्ड का पटटा जारी कर दिया जो अवैध होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा जारी पटटा सं. 94 दिनांक 03.03.2014 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय से तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाथडियास एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(एल.आर.गुर्गरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)